

28/11/2022 पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी श्री रामगोपाल यादव पुत्र शिव प्रसाद यादव, निवासी ढाणी भमोरिया वार्ड नं. 9 लिसाडिया तह. श्रीमाधोपुर सीकर मैसर्स एस.एस डेयरी एण्ड मावा पनीर उद्योग अणतपुरा अजीतगढ. तह. श्रीमाधोपुर सीकर उपस्थित हुये। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 17.10.2017 को समय 10:40 ए.एम. पर श्रीमाधोपुर सीकर, में निरीक्षण के लिए पहुंचे। निरीक्षण के दौरान विक्रय किये जा रहे फर्म मैसर्स एस.एस डेयरी एण्ड मावा पनीर उद्योग, में अप्रार्थी श्री रामगोपाल यादव एक प्लास्टिक ड्रम में दुध विक्रय करता हुआ मिला। अप्रार्थी को अपना परिचय दिया व उसका नाम व पता पूछा जो उन्होंने बताया।

फर्म पर श्री रामगोपाल यादव से पूछने बताया कि कैनो में मिक्स दुध है। फर्म पर उपलब्ध 40 लीटर मिक्स दुध के स्टोक में से वास्ते नमूना जांच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने की सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। वास्ते नमूना जांच 2 लीटर मिक्स दुध खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को 90 रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना अमानक पाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म कबूल किया एवं प्रकरण में अप्रार्थी के कारोबार को देखते हुये कम से कम जुर्मना किया जाकर प्रकरण का निस्तारण


(मानिल कुमार)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
एवं अति. जिला प्रजिस्ट्रार  
मीरजापुर



किये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म लिखित में कबूल किया एवं कम से कम जूर्माना लगाने का अनुरोध किया।

प्रार्थी व अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी नम्बर एफ-1011 खाद्य पदार्थ मिक्स दुध का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा जयपुर कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण अमानक पाया गया। अमानक खाद्य पदार्थ मिक्स दुध का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) का उल्लंघन पाया गया। अप्रार्थी द्वारा जुर्म कबूल कर लिये जाने से भी जुर्म कि गम्भीरता कम नहीं हो जाती है। यह कृत्य लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है तांकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये।

अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी को 50,000 रु के जुर्माने से दण्डित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जूर्माना राशि हैड 0210-04-800-03-00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जूर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी के विरुद्ध खाद्य अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। आदेश आज दिनांक 28.11.2022 को सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

  
(अनिल कुमार)  
अति निमित्त जिला कार्यालय  
नीमकाथाना  
नीमकाथाना